उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-4/1688/एक-1-2016-5(27)/2015

लखनऊ: दिनॉक: 28 जनवरी, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण अनुसूची के उपरान्त अंकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन करते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्ध नगर	सदर	दनकौर	लुक्सर	37	0.032	औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणके सुनियोजित विकास हेतु
2					153	0.038	
3					184	0.025	
4					185	0.013	
5					189	0.297	
6					202	0.120	
7					233मि0	1.922	
8					241	0.177	
9					295	2.504	
10					313	0.357	
11					324 मि0	0.076	
12					403 मि0	1.090	
13					403 मि0	0.038	
14					416	3.554	

shasnadesh.up.nic.in

-2-

15					527/257	0.121	
				योग	**कुल 15 गाटा**	**10.364 हे0**	

इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश संख्या-1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53, दिनॉक 20.11.2015 के अनुसार भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनॉक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

3. ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा- नलकूप व खेड़ा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि खेड़ा की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ही ग्रामवासियों के आवागमन एवं नलकूप के माध्यम से हो रहे पानी के नैसर्गिक बहाव एवं सिंचाई की व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा। ग्राम सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण केवल ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी योजना/कार्य हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4 सुरक्षित श्रेणी की भूमि यथा-खाद के गढडे की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य नहीं

shasnadesh.up.nic.in

लिया जायेगा। शासनादेश संख्या-963/एक-1-2004-1-1(10)/2002-15-रा0-1, दिनॉक 30.06.2004 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उक्त

-3-

सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों कडाई से अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- (2)/एक-1-2016-5(27)/2015 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्वनगर को उनके पत्र संख्या-150/डीएलआरसी/2014-15, दिनॉक 18.06.2015 के सन्दर्भ में
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोयडा, जनपद गौतमबुद्वनगर ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in